बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय

पत्रांक :– 100 बेगूसराय दिनांक :– 26.02.2020

**अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 02/2019–20**

1. कार्य का विवरण –

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | प्राक्कलित राशि (लाख में) | अग्रधन की राशि (रुपये में) | परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) केवल (online mode) द्वारा | बेलट्रोन को देय बीड प्रोसेसिंग फीस,(अप्रत्यर्पणीय केवल (online mode) द्वारा | कार्य समाप्ति की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बूढी गंडक दांया तटबंध के कि.मी. 21.00 से 22.00 के बीच मोहनपुर ग्राम के निकट कटाव निरोधक कार्य (अनियोजित अभियंता के लिए आरक्षित)। | 43.33 | 43400.00 | 5000.00 | 1180.00 | 15.05.2020 |

2. विज्ञापन निर्गत करने की तिथि : दिनांक 26.02.2020
3. परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि : दिनांक 06.03.2020 से 09.03.2020 को 3.00 बजे अपराह्न तक(सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)
4. प्री–बीड मीटिंग का समय स्थान एवं तिथि : दिनांक 07.03.2020 3.00 बजे अपराह्न में, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर, के कार्यालय में
5. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 12.03.2020 समय 3.00 बजे अपराह्न। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)
6. टेकनीकल बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 14.03.2020 समय 3.30 बजे अपराह्न।
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : तकनीकी बीड की स्वीकृति के पश्चात। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)
8. निविदा खोलने का स्थान : ( सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)
9. निविदा वैधता की अंतिम तिथि : 120 दिन
10. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय।
11. ई–टेंडरिंग की प्रकिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को जल संसाधन विभाग में समुचित श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा , जिससे कि उन्हें उपयोगकर्त्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकिय हस्ताक्षर **(Digital Signature)** आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाईट **www.eproc.bihar.gov.in** से डाउनलोड करने/ई–टेन्डरिंग की प्रकिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
12. ई–निविदा मात्र www.eproc.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।
13. (क) E-Tendering/E-Procurement प्रणाली के तहत जारी निविदा हेतु बिड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जाएगा) का भुगतान Online Mode (E-payment Mode यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

(ख) E-Tendering/E-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि Online Mode (e-Payment Mode) अथवा Physical Mode/Manual Payment System में स्वीकार्य होगा।

Online Mode के तहत अग्रधन की राशि अनुसूचित बैंक फिक्स डिपॉजिट का रसीद जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह बाद तक मान्य हो/किसान विकास पत्र/अनुसूचित बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट/डाकघर का बचत पासबुक एक/दो/तीन वर्षीय सावधि जमा/राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय विकास बाँड/राज्य विकास ऋण प्रमाण पत्र अथवा बिहार लोक

निर्माण विभाग संहिता/वित नियमावली में प्रावधानित किसी भी रूप में कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय के नाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त कर अथवा 1 करोड़ से अधिक कार्य के लिए बैंक गारन्टी जो बिड के मान्य अवधि तक के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से निर्गत हो, इसकी मूल प्रति कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, खगड़िया/मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर के कार्यालय में दिनांक 13.03.2020 के 3.00 बजे अपराह्न तक अवश्य जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा ।

(ग) "Bids along with necessary online payments must be submitted thorugh e-Procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/ Non submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availabiility of internet connection, Network Traffic/Holidays or any other reason".

(घ) "BSEDC Processing fee and Tender Fee/BOQ fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode".

14. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रोनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे । अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/ सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

15. किसी भी प्रकार का शुद्धि–पत्र को वेबसाईड पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

16. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/ पृष्ट संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख Pdf, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाए, अन्य Format में upload documents के Download/open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

17. संवेदक स्कैन कर अपलोड किए गये कागजातों की Download Ability/Visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगें।

18. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा । अतः संवेदकों को चाहिए कि कठिनाइयों से बचने हेतु अंतिम समय के पूर्व ही बीड को अपलोड कर लें।

19. संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायेगी।

20. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु ई–टेन्डरिंग सेल, कम्प्यूटर सेल, सिंचाई भवन, पटना (0612–2235241) एवं सहायता कक्ष एम/22, प्रथम तल्ला, बैंक ऑफ इण्डिया, रोड नं0–'25 , श्रीकृष्णा नगर, पटना से दूरभाष संख्या–9939035696 एवं 0612–2523006 पर सम्पर्क किया जा समता है।

21. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन/परिमाण विपत्र का मूल्य/ बेल्ट्रान को देय बिड प्रोसेसिंग फीस की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।

22. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।

23. तकनीकी बीड में कई सफल निविदाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदाताओं का चयन बिहार लोक विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

24. ओभर हेड मद् के अन्तर्गत होने वाले व्यय यथा गुण नियंत्रण, गोदाम निर्माण–सह–स्थल कार्यालय का निर्माण बिजली, पानी इत्यादि का वहन संवेदक द्वारा ही किया जायेगा ।

25. अनुमानित प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है।

26. अस्पष्ट एवं सशर्त्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा। जल संसाधन विभाग के नियमावली के अंतर्गत कार्य सम्पन्न होगा। संवेदक निविदा में अपना फोन/मोबाईल नं0/ईमेल पता अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।

27. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

28. दर आमंत्रण सूचना/विशेष जानकारी www.eproc.bihar.gov.in वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

29. खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार के पत्रांकः–3947 दिनांकः–15.11.2019 के अनुरूप स्वामित्व/मालिकाना फीस संबंधी कटौती की प्रकिया अनुमान्य होगी।

30. निविदा निष्पादन के दौरान उन निविदाकारों को कार्य आवंटन से वंचित रखा जाएगा जिनके विरूद्ध विभाग से कालीकरण की कारवाई चल रही है, या कार्यकलाप संदेहास्पद हो या इस प्रमण्डल में पूर्व में किए गए कार्य संतोषप्रद नहीं है, अथवा समय पर पूरा नहीं किया गया है।

31. निविदादाताओं को बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में समुचित श्रेणी में निबंधन होना अनिवार्य है।

32. बिहार सरकार जल संसाधन विभााग द्वारा निविदा से संबंधित सभी अद्यतन अनुदेश एवं शर्तें निविदा के लिए मान्य होगी।

33. संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) जल संसाधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 1/पी.एम.सी./ विविध/879/2012 –274 दिनांक 18.04.2016 एवं विभागीय पत्रांक बाढ मो0 सि0 70/2017–अंश –3718 दिनांक 10.11.2017 का अनुपालन अनिवार्य होगा ।

34. निविदाताओं को अंकित शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य है :–

**"I the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing".**

**35 क. ग्रूप संख्या 1 के लिए, तकनीकी निविदा पुरी करने की न्यूनतम अहर्त्ता –**

i. निविदा दाता को जल संसाधन विभाग में समुचित श्रेणी में निबंधित होना चाहिए।

ii. पर्याप्त अग्रधन की राशि जमा होनी चाहिए।

iii. शपथ पत्र कमांक 34 एवं 41 के अनुरूप होना चाहिए।

36. संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) जल संसाधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 1/पी.एम.सी./ विविध/629/2003–पार्ट–।।–686 दिनांक 19.08.2014 का अनुपालन अनिवार्य होगा एवं विभागीय पत्रांक 200,201 दिनांक 14.03.2016 का अनुपालन अनिवार्य होगा ।

37. विभागीय पत्रांक 1/पी.एम.सी./विविध/957/2014, 50 दिनांक 20.01.2020 के द्वारा निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा समाप्त कर दी गई है।तद्नुरुप एकरारनामा के पूर्व सफल संवेदक को Additional Performance Security जमा करना अनिवार्य होगा ।

38. संवेदकों को कार्यस्थल, प्राक्कलन, क्वेरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रीयों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होने के पश्चात हीं निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है । इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा ।

39. समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण नही हो पाने की स्थिति में बाढ़ आपदा अधिनियम के तहत् संवेदक पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी ।

40. प्रधान सचिव,वित्त विभाग,बिहार सरकार के पत्रांक 7245 दिनांक 26.09.2018 के आलोक में बिहार वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अधिनियम 51 के अर्न्तगत 2% G.S.T. TDS की कटौती संवेदक के विपत्रों से की जायेगी ।

41. संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) जल संसाधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक बाढ(मो0)सिं0 विविध–14/2015 –2175 दिनांक 06.06.2017 का अनुपालन अनिवार्य होगा एवं तद्नुरुप शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

26/01/2020

कार्यपालक अभियंता

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय